

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कुशीनगर, हापुड एवं बहराइच।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 19 अक्टूबर, 2023

विषय:- जनपदों में स्थापित इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों के क्रय तथा अवस्थापना सम्बंधी अन्य विविध व्यय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-2247/ एक-10-2022-33 (21)/2022 दिनांक- 27.01.2023 द्वारा राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक 06.09.2022 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार जनपदों में स्थापित इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों के क्रय तथा अवस्थापना सम्बन्धी अन्य विविध व्यय हेतु प्रदेश के 75 जनपदों को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 6,37,18,000/- (छह करोड़ सैंतीस लाख अठारह हजार मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी।

2- उल्लेखनीय है कतिपय जनपदों द्वारा अवगत कराया गया है कि समयभाव एवं तकनीकी कारणों से उक्त मद में आवंटित धनराशि का वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपभोग नहीं किया जा सका, जिस कारण आवंटित धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर शासन को समर्पित कर दी गयी।

3- उपर्युक्त विषय पर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में स्थापित इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों के क्रय तथा अवस्थापना सम्बन्धी अन्य विविध व्यय हेतु निम्न तालिका में उल्लिखित जनपदों द्वारा धनावंटन की मांग के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष- 2022-23 की समाप्ति पर समर्पित धनराशि वित्तीय वर्ष- 2023-24 में राज्य आपदा मोचक निधि के मद- 11 में निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिका के कॉलम -2 में अंकित जनपदों को कॉलम-3 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रु० में)
1	कुशीनगर	5,39,000/-
2	हापुड	8,24,670/-
3	बहराइच	8,63,000/-

कुल योग	22,17,521/-
(बाइस लाख सत्तरह हजार पांच सौ इक्कीस मात्र)	

नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

1. उपकरणों को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में क्रय के सुसंगत नियमों/ वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जाएगा।
 2. उपकरणों का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा।
 3. ई-टेंडरिंग / जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा ।
 4. स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/ बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा ।
 5. इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
 6. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
 7. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा ।
 8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर -369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या - 42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा ।
 9. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित करकर शासन को सूचित किया जाये।
 10. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2247/ एक-10-2022-33(21)/2022, दिनांक 27.01.2023 की तालिका - अ में उल्लिखित विवरणों के आधार पर ही सामग्री का क्रय किया जायेगा।
- 4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 22,17,521/- (बाइस लाख सत्रह हजार पांच सौ इक्कीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023 2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245- 05-800-0611 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय मानक मद - 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा ।
- 5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2 /2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/


(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या:-1475-3(1)/एक-10-2023-33(21)/2022, तहिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज ।
2. राहत आयुक्त, 30प्र01
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 3० प्र० ।
4. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30 प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण ।
5. विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग 30प्र0 ।
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन 30प्र0।
7. सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-51
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,



(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव ।

संख्या-1475-4/एक-10-2023-33(21)/2022

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०० प्र० ० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कुशीनगर, हापुड एवं बहराइच।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ दिनांक-27/10/2023

विषय- जनपदों में स्थापित इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों के क्रय तथा अवस्थापना सम्बंधी अन्य विविध व्यय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1475-3/एक-10-2023-33 (21)/2022, दिनांक-19.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद कुशीनगर, हापुड एवं बहराइच को कुल ₹० 22,17,521/- की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 की उल्लिखित तालिका में जनपद कुशीनगर के सम्मुख स्वीकृत की जाने वाली धनराशि ₹० 5,39,000/- टंकण त्रुटिवश अंकित हो गया है, जबकि स्वीकृत धनराशि ₹० 5,29,851/- है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में उल्लिखित तालिका के कॉलम-3 में अंकित जनपद-कुशीनगर के सम्मुख धनराशि ₹० 5,39,000/- के स्थान पर धनराशि ₹० 5,29,851/- पढा जाय।

3- उक्त शासनादेश दिनांक-19.10.2023 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

Signed by शैलेन्द्र मणि
त्रिपाठी

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी) 23 16:58:24

Reason: Approved
अनु सचिव।

संख्या:-1475-4(1)/एक-10-2023-33(21)/2022, तहनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ० प्र० प्रयागराज ।
2. राहत आयुक्त, उ० प्र० 01
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ० प्र० ।
4. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ० प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण ।
5. विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग उ० प्र० 0 ।
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन उ० प्र० 0 ।
7. सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-51

9. राई काडल ।

आजा से,

(शैलेंद्र मणि विपारी)
अर्थ सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-30/10/2023

प्रेषण संख्या:- 1475-3
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1475-3
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बहराइच-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	863000 5138600	863000 5138600
2	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	529851 6145586	529851 6145586
3	हापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	824670 2554158	824670 2554158
	योग	वर्तमान प्रगामी	2217521 13838344	2217521 13838344

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बाइस लाख सत्रह हजार पाँच सौ इक्कीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ अड़तीस लाख अड़तीस हजार तीन सौ चौवालीस

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन